



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27112020-223360
CG-DL-E-27112020-223360

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3736]
No. 3736]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 26, 2020/अग्रहायण 5, 1942
NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 26, 2020/AGRAHAYANA 5, 1942

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 नवम्बर, 2020

का.आ. 4240(अ).—पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में प्रयोक्ता के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (इसमें इसके बाद उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 के खंड (क) के अनुसरण में भारत सरकार एतद्वारा, ओडिशा राज्य में मैसर्स गेल (इण्डिया) लिमिटेड की जगदीशपुर-हल्दिया एवं बोकारो-धामरा प्राकृतिक गैस पाइपलाइन (जे एच बी डी पी एल) परियोजना के लिये पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में प्रयोक्ता के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 के तहत श्री संतोष कुमार मिश्रा, तहसीलदार (सेवानिवृत्त), ओडिशा प्रशासनिक सेवा को सक्षम प्राधिकारी के कार्यों का निर्वहन करने के लिये प्राधिकृत करती है।

2. यह अधिसूचना जारी होने की तारीख से लागू होगी।

[फा. सं. एल-14014/36/2016-जीपी -II]

आनंद कुमार झा, उप सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 23rd November, 2020

S.O. 4240(E).—In pursuance of clause (a) of Section 2 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter called the said Act), the Government of India hereby authorizes Shri Santosh Kumar Mishra, Tehsildar (Retired), Odisha Administrative Service to perform the functions of Competent Authority under the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 for Jagdishpur-Haldia & Bokaro-Dhamra Natural Gas Pipeline (JHBDPL) Project of M/s. GAIL (India) Limited in the State of Odisha.

2. This notification will be effective from the date of its issue.

[F. No. L-14014/36/2016-GP-II]

ANAND KUMAR JHA, Dy. Secy.